न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
पत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.
रण संख्याः- 548/2025

मिठू सिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
2 मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 5 एआरडब्लयू, तहसील व जिला हनुमानगढ
3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 5 एआरडब्लयू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4 चंदुराम पुत्र श्री खिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5 जसपाल पुत्र श्री रूधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6 धन्नी पुत्री श्री रूधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
7 भूरा पुत्र खिया जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
8 भैरा पुत्र खिया जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
9 भीयाराम पुत्र श्री खिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
10 मघा पुत्र श्री रूघा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
11 मघा पुत्र बेगा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
12 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
1 श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादी
2 श्री गुरप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3
3 एकपक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 11
4 राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 12

-:निर्णयः-

दिनांक 17.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि चक 15 एस.टी.जी.बी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/22, खाता ओमप्रकाश आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 77/304 (30) किला नम्बर

से 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 77/305 (32) किला नम्बर 1 से 4, 9 से /.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि उक्त समस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के ही आधिपत्य व ण में अर्सा दराज पूर्व से चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 द्वारा प्रश्नगत राजी जरिये पंजीकृत बैयनामा प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है तथा बैयनामा की दिनांक से ही नगत आराजी पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 का कब्ज चला आ रहा है। वादी के पक्ष इन्द्राज पुत्र जसपाल द्वारा बैयनामा दिनांक 01.08.2000 को करवाया गया जिसकी चित्रप्रति मिल वाद पत्र है। वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज वर्तमान प्रतिष्टि को विलोपित करवाकर तथा निम्न नुसार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। आराजी का विवरण निम्न अनुसार है :-

क 15 एस.टी.जी.बी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/22, खाता ओमप्रकाश आदि, माबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 77/304 (30) किला नम्बर 20 से 24/.253 टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 77/305 (32) किला नम्बर 1 से 4, 9 से 11/.253 हैक्टेयर येक कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी मिठू सिंह उर्फ गुरनाम सिंह :- 1.265 हैक्टेयर राजी, प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश :- .885 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी सख्या 2 मदनलाल :- 43 हैक्टेयर आराजी एंव प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र प्रसाद :- .443 हैक्टेयर आराजी।

यह कि वादी के हक हिस्से की आराजी वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। दग्रस्त आराजी का खाता विवादित होने के कारण वादी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाई रही विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने से वंचित हो रहा है, इस कारण वादी वाद पत्र की चरण ख्या 2 में दर्ज आराजी का वाद पत्र की चरण संख्या 03 में दर्ज विवरण अनुसार घोषणा करवाने अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज आराजी वाद पत्र की चरण सख्या 03 के अनुसार वादी के आधिपत्य व धारण की आराजी की घोषणा रवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 12 को वादग्रस्त कृषि भूमि का भू-धारक होने के कारण पक्षकार नाया गया है।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका र डिक्री फरमाया जावे :-

क) कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी की वाद की चरण संख्या 3 के अनुसार वादी आधिपत्य व धारण की आराजी की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को लोपित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

ख) कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी तिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता गुरप्रीत सिंह उपस्थित हुए। तिवादी सं. 1, 4 ता 11 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय ार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की ई। वादी द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। पत्रावली का वलोकन किया गया।

तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2026/462 दिनांक 09.02.2026 द्वारा अवगत
ाया गया है कि मुताबिक मौका रिकार्ड चक 15 एसटीजी बी के खाता सं. 34 प.न. 77/304
. 20 ता 24 प.न. 77/305 कि.न. 1 ता 4, 9, 10, 11 ओमप्रकाश पुत्र भादरराम,
ाम पुत्र खिराज आदि के नाम संयुक्त खाता दर्ज है। मौके पर खेत पडोसियों व मौजूद
त्तयों से पूछताछ में पाया गया है कि उक्त खाते में दर्ज प.न. 77/304 कि.न. 23, 24 तथा
77/305 कि.न. 3, 4, 9 कुल 1.165 हैक्टेयर रकबा मिठूसिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र कौर
द्वारा काश्त की जा रही है तथा उक्त खाते में दर्ज प.न. 77/304 कि.न. 20, 21, 22 तथा
77/305 कि.न. 1, 2, 10, 11 कुल 1.771 हैक्टेयर रकबा संयुक्त रूप से ओमप्रकाश
भादरराम, मदनलाल पुत्र रामप्रताप व राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप की काश्तशुदा भूमि है। दौराने बहस
का कथन है कि मेरे द्वार जरिये बैयनामा 01.08.2000 को प्रश्नगत भूमि इन्द्राज पुत्र
पाल जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा से खरीद की है तथा इसी बेचानकर्ता इन्द्राज से प्रतिवादी
2, 3 द्वारा अपनी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की है।
यपक्ष ने मुताबिक तहसील रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वर्तमान
ाबंदी में अंकित स्थगन आदेश माननीय जिला न्यायालय हनुमानगढ प्रकरण सं. दीवानी
/2021 पर अधिवक्ता वादी का कथन है कि माननीय न्यायालय में वाद पत्र अनवानी गुजरसिंह
ाम ओमप्रकाश जैरकार है जिसमें विक्रय अनुबंध दिनांक 16.07.2000 को लेकर चक 15
टीजी बी खाता सं. 21/22 में दर्ज तादादी 3.036 हैक्टेयर में 70 हिस्सा अर्थात 3 बीघा 10
वा प.न. 77/305 कि.न. 4/.126, कि.न. 9, 10, 11 तादादी 3 बीघा 10 बिस्वा का विक्रय
ुबंध ओमप्रकाश द्वारा किया गया है, को लेकर विवाद है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा
मप्रकाश के हिस्से को लेकर विवाद होने के कारण स्थगन आदेश जारी किया गया है। हस्तगत
पत्र में 88 आरटीएक्ट के अन्तर्गत घोषणा का अनुतोष है क्योकिं खाता अपवादित है। माननीय
यालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के हिस्से यानि 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर
न-बैय-अन्तरण का स्थगन पारीत किया गया है, हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा खाता दुरूस्त
वाते हुये ओमप्रकाश का हिस्सा यानि 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा
है तथा न ही माननीय जिला न्यायालय में जैरकार वाद पत्र में वर्णित विवादित एवं अनुबंधित
राजी प.न. 77/305 कि.न. 4/.10, 9, 10 तादादी .632 हैक्टेयर पर। वाद में मात्र घोषणा
अनुतोष याचित किया गया है इसलिए खाते की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसलिए
गन आदेश हस्तगत वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 3 पर प्रभावशील नहीं है अपितु
तिवादी सं. 1 ओमप्रकाश की हद तक प्रभावशील है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा
गनादेश के अधीन रखते हुये वाद पत्र डिक्री किये जाने में कानूनन बाधा नहीं है। बहस उभयपक्ष
मनन किया गया। माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र का अध्ययन किया गया। उपलब्ध
त्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के नाम दर्ज रकबा स्थगन आदेश के अधीन
खते हुये वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 15 एस.टी.जी.बी.
हसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/22 पत्थर नम्बर 77/304 (30) किला नम्बर 20 से
4/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 77/305 (32) किला नम्बर 1 से 4, 9 से 11/.253
क्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी मिठू सिंह उर्फ गुरनाम सिंह:- 1.265
क्टेयर आराजी, प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश:- 0.885 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी सख्या 2
दनलाल:- 0.443 हैक्टेयर आराजी एंव प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र प्रसाद:- 0.443 हैक्टेयर
राजी के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर अपवादित खाता

किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद नहीं हो तो व घोषित खातेदार गरान की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की दाखिल दफ्तर की जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से या जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

असीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

रण संख्याः- 548/2025

मिठू सिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
2 मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 5 एआरडब्लयू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 5 एआरडब्लयू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4 चंदुराम पुत्र श्री खिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5 जसपाल पुत्र श्री रूघाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6 धन्नी पुत्री श्री रूधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
7 भूरा पुत्र खिया जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
8 भैरा पुत्र खिया जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
9 भीयाराम पुत्र श्री खिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
10 मघा पुत्र श्री रूघा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
11 मघा पुत्र बेगा जाप्रति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ
12 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरप्रीत सिंह वकील प्रतिवादी सं. 2, 3 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 15 एस.टी.जी.बी. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/22 पत्थर नम्बर 77/304 (30) किला नम्बर 20 से 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 77/305 (32) किला नम्बर 1 से 4, 9 से 11/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी मिठू सिंह उर्फ गुरनाम सिंहः- 1.265 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाशः- 0.885 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी सख्या 2 मदनलालः- 0.443 हैक्टेयर आराजी एंव प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र प्रसाद :- 0.443 हैक्टेयर आराजी के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर अपवादित खाता दुरूस्त किया जावे।। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद नहीं हो

डिक्री की पालना में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर

दारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।।

मिल xxx बावत् xxx मिल xxx खर्चा मुकदमें के मय सूद वा

मिल xxx नल xxx मुविक्किल xxx मिल xxx बावत् xxx मिल xxx खर्चा मुकदमें के मय सूद वा

फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक xxx अदा करें।

बदस्तखत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2026 को जारी किया गया।

- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ